न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः **35/2020** दायर दिनाँक **05.10.2020**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. लहरीराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 01 दुदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम	1. रामुराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 01 दुदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 2. कंवराराम पुत्र स्व. पन्नाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 01 दुदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 1. भेराराम पुत्र स्व. कंवराराम 2. दुलाराम पुत्र स्व. कंवराराम 3. चेनाराम पुत्र स्व. कंवराराम 4. गणपतराम पुत्र स्व. कंवराराम 5. जेठीदेवी पत्नी स्व. कवराराम जातिगण जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 01 दुदौली तहसील डीडवाना जिला नागौर 6. हरकुदेवी पुत्री स्व. कंवराराम जाति जाट निवासी सिकराली तहसील लाडनूं जिला नागौर राज.। 7. गंगादेवी पुत्री स्व. कंवराराम जाति जाट निवासी बल्दु तहसील लाडनूं जिला नागौर राज.। 8. सुखीदेवी पुत्री स्व. कंवराराम जाति जाट निवासी बल्दु तहसील लाडनूं जिला नागौर राज.। 9. पार्वती देवी पुत्री स्व. कंवराराम जाति जाट निवासी सिकराली तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0। 3. गोदावरी पत्नि रामुराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 01 दुदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 4. शाखा प्रबंधक ज.ना.ग्रा. बैंक शाखा डीडवाना जिला नागौर 5. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा डीडवाना जिला नागौर 6. तहसीलदार डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री सतवीर ढोलिया वकील प्रार्थी।
2. श्री सुनील कुमार मिश्रा वकील अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम की ओर से

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

3. श्री केशव ओझा वकिल अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से
4. श्री दानाराम भाटी वकील अप्रार्थी संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक **10.03.2026**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि प्रार्थी का खसरा सं. 374 रकबा 2.51 है. मौजा सरहद दुदोली पटवार हल्का पालोट तहसील डीडवाना में अवस्थित है जो कि प्रार्थी के खातेदारी सुदा खेत है प्रार्थी के उक्त खेत खसरा 374 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने का रास्ता खसरा संख्या 375, 405, 406 व 408 से होता हुआ कच्चा रास्ता है। उक्त खेत के कट्टाणी रास्ते के लिए आवेदन कर रहा है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद सम्मन तामीली अनुपस्थित होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता केशव ओझा ने इकबालिया जवाब पेश किया। एवं 4, 2 के कायम मुकाम की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक – प.1(10)रीडर/2024/130 दिनांक 24.02.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ते की आवश्यकता है एवं आवेदक के खेत में जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है। वादी द्वारा ग्राम दुदोली के खसरा नम्बर 375, 405, 1291/406 व 408 में से कट्टाणी रास्ते से अपने खेत खसरा नम्बर 374 कबा 2.5100 है. भूमि में नया रास्ता चाहा गया है। प्रस्तुत नजरी नक्शा में मार्क ए से बी खसरा नम्बर 375 रकबा 2.51 है. में से चौडाई 3.66 मीटर एवं लम्बाई 54 मीटर रकबा 0.0198 है., मार्क बी से सी खसरा नम्बर 405 रकबा 2.51 है. में से चौडाई 3.66 मीटर एवं लम्बाई 64 मीटर रकबा 0.0234 है., मार्क सी से ई खसरा नम्बर 1291/406 रकबा 2.48 है. में से चौडाई 3.66 मीटर एवं लम्बाई 126 मीटर रकबा 0.0461 है. भूमि वनती है। मार्क ई से एफ खसरा नम्बर 408 रकबा 1.57 है. किस्म गै.मु. अंगौर भूमि है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित भूमि है। वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि में से चाहा गया रास्ता के अलावा कट्टाणी रास्ते से वर्तमान नियमों के परिपेक्ष्य के अनुसार निकटतम व लघुतम दूरी का नया रास्ता नजरी नक्शा अनुसार ग्राम बल्दु की शरहद तहसील लाडनूं न्यायालय क्षेत्र सहायक कलक्टर लाडनूं के क्षेत्राधिकार में पडता है।

प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। वर्तमान में खेत तक पहुंचने का रास्ता खसरा संख्या 375, 405, 406 व 408 से होता हुआ कच्चा रास्ता है परन्तु उक्त रास्ता कट्टाणी दर्ज नहीं है अतः नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार मार्क एबीसीडी रास्ते को कट्टाणी दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:31 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

बहस पर मनन किया एवं, तत्सामय विधि का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 374 पहुचने हेतु खसरा नम्बर 375, 405, 1291/406 व 408 में से रास्ता दर्ज किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर खसरा नम्बर 408 रकबा 1.57 है, किस्म गै.मु. अंगौर भूमि है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित भूमि है। प्रतिबंधित भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि से रास्ता चाहे जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति चाहने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 10.03.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:31 IST
Reason: SelfAttested